न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2020

दायर तारीख :– 25-02-2020

1. बोदू
2. बिरदूराम
3. बनवारी लाल } पुत्रान नानूराम जाति अहीर
4. साधूराम पुत्र बिरदूराम
5. गोरू राम पुत्र जोहरी
6. मंगलाराम पुत्र जोहरी
7. प्रहलाद पुत्र गोपाल
8. जयराम पुत्र गोपाल } जाति गुर्जर

} समस्त निवासी ढाणी भोगनकाली तन बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—: *प्रार्थीगण*

बनाम

1. छोटू पुत्र प्रभात
2. उमराव
3. सुल्तान
4. भंवरा
5. लालचंद } पुत्रान नाथा
6. जयराम
7. प्रकाश
8. रामकरण
9. बंशी
10. कैलाश } पुत्रान सोहन

} समस्त जाति अहीर निवासी कालरा की ढाणी तन बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— *अप्रार्थीगण*

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 07.01.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम बजरंगपुरा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1341/0.57, 1342/0.30, 1343/0.71, 1344/0.51, 1349/0.46, 1350/0.06, 1352/0.01, 1357/0.54 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076–2079 है। तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के

खसरा नम्बर 1324/0.31, 1329/0.18, 1331/0.44, 1335/0.43 हैक्टेयर में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से बजरंगपुरा सडक मार्ग से बतरफ दक्षिण की ओर उपरोक्त खसरा नंबर के बतरफ पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे खसरा नंबर 1335 के दक्षिणी कोने से होता हुआ खसरा नंबर 1335 की डोल से लगता हुआ पूर्व की तरफ खसरा नंबर 1344 तक 4 मीटर चौडाई में रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थीगण उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बजरंगुपरा, नकल जमाबन्दी ग्राम बजरंगपुरा खाता संख्या 119 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम बजरंगपुरा खाता संख्या 53 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 47 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 99 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस एवं नकल माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुकदमा नंबर 04/2021 उनवान छोटू बनाम बोदू आदि पेश किये।
3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण की तरफ से जवाब प्रार्थना में कथन रहे कि प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कूननी बंटवारा नहीं हुआ है। तथा उपरोक्त खसरा नंबर अकेले प्रार्थीगण की खातेदारी में भी दर्ज नहीं है। खसरा नंबर 1341/0.57, 1342/0.30, 1344/0.51, 1350/0.06 हैक्टेयर भूमि के सह खातेदार अप्रार्थीगण जयराम, प्रकाश, बंशी, रामकरण भी है, जिनकी तरफ से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई सहमति भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में जब तक कूननी बंटवारा नहीं हो जाता है यह बात नहीं मानी जा सकती की प्रार्थीगण के हक हिस्से का कौनसा नंबर है अर्थात बिना कानूनी बंटवारा हुए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह है कि खसरा नंबर 1324/0.31, 1329/0.18, 1331/0.44, 1335/0.43 हैक्टेयर भूमि में से उपरोक्त खसरा नंबरों के बतरफ पश्चिमी डोल के सहारे–सहारे खसरा नंबर 1335 के दक्षिणी कोने से होता हुआ खसरा नंबर 1335 से लगता हुआ पूर्व की तरफ खसरा नंबर 1344 तक 4 मीटर चौडाई का रास्ता चाहा है प्रार्थीगण ने जान बूझकर आधे अधूरे खसरा नबरों का नक्शा पेश कर उक्त रास्ते की आवश्यकता बताई है जो पूरी तरह गलत है एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। तथा विशेष कथन रहे कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य हेतु जोत तक पहूंच के लिए लघुतम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

रूप से जो कम दूरी का रास्ता दिया जा सके के बाबत उक्त प्रावधाना बनाये हुए है। प्रार्थीगण ने अपने आवास निवास की स्थिती स्पष्ट नहीं की है, प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नंबर 1341, 1342, 1343, 1344, 1349, 1350, 1352, 1357 के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त खसरा नंबरों का पूरा नक्शा भी पेश नहीं किया है, जबकि खसरा नंबर 1351 में अलमशहूर ढाणी भोगनकाली स्थित है। नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खसरा नंबर 1341, 1342, 1343, 1344, 1349, 1350, 1352, 1357 आपस में एक दूसरे से लगते हुए है और प्रार्थीगण की आबादी ढाणी भोगनकाली से भी लगते हुए है अर्थात प्रार्थीगण के आवास एवं कृषि के मध्य अप्राथीगण की खातेदारी भूमि स्थित नहीं है प्रार्थीगण को कृषि भूमि जोत के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ढाणी से राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य जगह जाने के लिए एक नये मार्ग की जरूरत है, जबकि जब से ढाणी बसी है तब से लेकर आज तक उक्त ढाणी भोगनकाली के व्यक्ति ढाणी के बतरफ दक्षिण में स्थित रास्ते से आते–जाते रहे है और आज भी आ जा रहे है इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने जानबूझकर इस बात को भी छुपाया है कि अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नंबरों में अप्रार्थीगण का स्थायी निर्माण, मकान, चाह एंव मंदिर भी बने हुए है एंव काफी अधिक संख्या में पेड भी लगे हुए है, कुंआ होद बने हुए है। एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के हिसाब से प्रार्थीगण ने इस तथ्य को भी जानबूझकर छुपाया है कि खाता संख्या 53 संवत् 2076–2079 में दर्ज खसरा नंबर 1341वगैरह में दर्ज खसरा नंबर 1347 से नेशनल हाईवे 8 से बजरंगपुरा जाने वाली सडक की दूरी खसरा नंबर 1347 के उत्तर पश्चिमी कोने से नापी जाने पर खसरा नंबर 1048, 1049 की मेड के साथ–साथ करीब 200 मीटर लंबाई में ही पडता है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता करीब 275–280 मीटर लंबा पडता है वही प्रार्थीगण की इसी खाते में दर्ज भूमि हाल खसरा नंबर 1348/0.56 हैक्टेयर में से जाटो की ढाणी खसरा नंबर 1042 जहां तक पंचायत द्वारा निर्मित सी.सी रोड बना हुआ है के मध्य की दूरी मात्र 150 मीटर ही है इतना ही नहीं प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 1337 के उत्तरी पूर्वी कोने से ढाणी उदयसिंह वाली तक बने सी.सी रोड की दूरी भी 220 मीटर से कम ही बनती है इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने कि नियत से पेश किया गया होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अपने घरों से अपनी जोत में आने जाने के लिए अतिआवश्यक प्रकृति का नहीं होकर मात्र अपनी भू2मि की मार्केट वेल्यू बढाने के आशय से ढाणी से बाहर जाने के लिए एक सडक मार्ग बनाने की नियम से पेश किया गया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

5. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 53 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 99 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 103 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी बजरंगपुरा खाता संख्या 47 संवत् 2076–2079, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बजरंगपुरा, नकल माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुकदमा नंबर 77/2020 उनवान छोटू बनाम बोदू आदि पेश किए है।
6. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
7. तहसीलदार विराटनगर की मौका रिपोर्ट में कथन रहे कि ग्राम बजरंगपुरा नक्शा व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 1341, 1342, 1343, 1344, 1349, 1350, 1352, 1357 में पहूंच मार्ग रास्ता रिकॉर्ड में कटा हुआ नहीं है इसके पश्चात वादी वगैरह पूर्व से पगडण्डी होकर जाते थे, उस तरफ मौका देखा गया उक्त रास्ता नजदीक है लेकिन इसमें चाह व आबादी होने से वादी एंव प्रतिवादीगण ने उपयुक्त नहीं माना एंव हमारे अनुसार भी उपयुक्त नहीं है। प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ते का मौका देखा गया। उक्त रास्ता, बजरंगपुरा से एन.एच. 8 के मध्य सम्पर्क सडक (डामर सडक) के खसरा नंबर 1326 से लगते हुए जाता है। खसरा नंबर 1326 मौके पर डामर सडक है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उमराव वगैरह के नाम से खातेदारी दर्ज है लेकिन वर्तमान में रास्ते (डामर सडक) के उपयोग में आ रही है। खसरा नंबर 1324, 1329, 1331, 1335 से रिकॉर्डेड रास्ते की मांग की गई वह वादीगण के उल्लेखित खसरा नबरान में पहूंचता है। राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 1324, 1329, 1331 के पश्चिमी सीमा पर तथा 1335 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा से रास्ता प्रस्तावित है। उक्त रास्ते में खसरा नंबर 1324 में 67 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 268 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1329 में 42 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 168 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1331 में से 56 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 224 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1335 में से पश्चिमी सीमा पर 41 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 164 वर्गमीटर, दक्षिणी सीमा पर 68 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 272 वर्गमीटर अर्थात खसरा नंबर 1335 में कुल 164 + 272 = 436 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिस को नक्श में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से पृथक से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते में 1096 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग होगा। उक्त प्रस्तावित रास्ते में एक पानी का होद अवरोध करता है पूर्व का बना हुआ है, जो कि वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहा है तथा खसरा नंबर 1335 की दक्षिणी सीमा पर लगभग छोटे–बडे हरे वृक्ष संख्या में 12 आते हैं।
8. अप्रार्थीगण की तरफ से तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2020 पर उजरात प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उजरात प्रार्थना पत्र में कथन रहे कि न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण छोटू वगैरह को बिना जानकारी दिये हुए एकपक्षीय रूप से तैयार की गई है। तहसीलदार महोदय स्वयं मौके पर नहीं गए है और न ही अपनी उपस्थिती में रिपोर्ट बनवाई है। यह है कि प्रार्थीगण/उजरदारी पेश कर्तागण की तरफ से प्रार्थना पत्र 251–क की जो जवाब देही की गई थी, उक्त जवाब देवी में प्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खसरा नंबर 1343, 1349, 1352, 1357 को संयुक्त खातेदारी भूमि होने एवं खसरा नंबर 1341, 1342, 1344, 1345, 1346, 1347 की खातेदारी से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एंव अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 10 की एंव अन्य व्यक्तियों की भी सह खातेदारी भूमि होने का उल्लेख किया है एवं उक्त भूमि का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं होने का भी उल्लेख किया है, प्रस्तुत रिपोर्ट में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एंव इस खाते में दर्ज अन्य खसरा नंबर 1348, 1350, 1355, 1356 के संबंध में भी स्थिती को स्पष्ट नहीं किया है। यह है कि प्रार्थीगण/उजरात पेश कर्ताओं द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पात्र में वर्णित प्रकार से पूर्ण से प्रार्थना पत्र पेश कर्ताओं की ढाणी भोगनकाली में आ रहे रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट पेश नहीं की है, जबकि धारा 251–क में इस बात का स्पष्ट प्रावधान बना हुआ है कि वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के स्थिति में ही नया रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकेगा। रिपोर्ट पेश करने में उक्त वैकल्पिक रास्ते के संबंध में कोई विविरण दर्ज नहीं किया गया है। अर्थात जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया गया है। यह है कि हाल खसरा नंबर 1351 में आवेदन कर्ताओं की ढाणी भोगनकाली बसी हुई है एंव जब से ढाणी बसी हुई है तब से उक्त ढाणी में छोटे–बडे सभी प्रकार के साधन आ जा रहे है। एंव सभी तरह का सामान व कृषि उपज भी ला लेजा रहे है। एवं जिन खसरा नंबरों के लिए नया रास्ता मांगा जा रहा है वे सभी खसरा नंबर 1351 में बसी ढाणी से लगते हुए ही है इस संबंध में रिपोर्ट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। यह कि धारा 251–क रा0का0 अधिनियम के प्रावधान कृषि जोत हेतू रास्ता अत्यावश्यक होने की स्थित में ही नया रास्ता दिलवाये जाने के प्रावधान है, किसी खातेदार की सुविधा के लिए इस तरह का रास्ता दिलवाये जाने के या भूमि की बाजार रेट बढाने या उपयोगिता बढ़ाने के लिए नया रास्ता दिलवाये जाने के प्रावधान नहीं है। उक्त तमाम प्रावधानों की अनदेखा करते हुए रिपोर्ट पेश की गई है, जो पूरी तरह विधि के प्रावधानों के विपरित पेश की गई है। यह है कि जवाब आवेदन में प्रार्थीगण ने आवेदन कर्ताओं की भूमि के बतरफ उत्तर–पश्चिम में करीब खसरा नंबर 1048 व 1049 की मेड के साथ–साथ प्रस्तावित रास्ते से काफी कम लंबाई में रास्ता दिया जा सकता एंव बतरफ पूर्व में खसरा नंबर 1337 की तरफ वाले नंबर ढाणी उदयसिंहवाली की तरफ जाते है। उनमें एवं खसरा नंबर 1348 से जाटों की ढाणी की तरफ वाले खसरा नंबरों में रास्ता दिया जाता है तो वह भी प्रस्तावित रास्ते से काफी कम लंबाई का रास्ता दिया जा सकता है। उक्त जवाब देही के तथ्यों को दरकिनार करते हुए जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह जानबूझकर एक तरफा रूप से तैयार की गई रिपोर्ट है, जो प्रथम दृष्ट्या ही विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खेतों की मेड के सहारे–सहारे लगे सैकडों पैडो की संख्या महज 13 ही दर्शायी गई है। एवं कुए एवं कमरे वगैरह एंव मकान तथा देवस्थान को भी जानबूझकर नहीं दिखाया गया है एंव पानी के होद को भी बंद दिखाया गया है अर्थात तमाम रिपोर्ट आवेदन कर्ताओं को अपरोक्ष रूप से लाभ पहूंचाने के आशय से तैयार की गई प्रतीत हो रही है, जो सरसरी तौर पर खारिज किए

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

जाने योग्य है। यह है कि आपत्ति कर्ताओं ने जिलाधीश महोदय के यहां पर ट्रांसफर ऐपलिकेशन भी पेश कर रखी है, जिसकी प्रति भी न्यायालय में पेश है। अतः उजरात वावत मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार तहसील विराटनगर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2020 को निरस्त किया जावे एवं जिलाधीश महोदय के आदेश कि पालना किये जाने के उपरान्त ही उभयपक्षों की मौजूदगी में एवं जवाब प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने की कृपा करें।

9. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत उजरात प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत उजरात प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। वाके ग्राम बजरंगपुरा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1341/0.57, 1342/0.30, 1343/0.71, 1344/0.51, 1349/0.46, 1350/0.06, 1352/0.01, 1357/0.54 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 1324/0.31, 1329/0.18, 1331/0.44, 1335/0.43 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थीगण के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1324/0.31, 1329/0.18, 1331/0.44, 1335/0.43 हैक्टेयर की भूमि मे से है।

11. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव में कथन रहे कि प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1324 में 67 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 268 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1329 में 42 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 168 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1331 में से 56 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 224 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1335 में से पश्चिमी सीमा पर 41 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 164 वर्गमीटर, दक्षिणी सीमा पर 68 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 272 वर्गमीटर अर्थात खसरा नंबर 1335 में कुल 164 + 272 = 436 वर्गमीटर भूमि अर्थात 1096 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

12. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, वल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1324 में 67 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 268 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1329 में 42 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 168 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1331 में से 56 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 224 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1335 में से पश्चिमी सीमा पर 41 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 164 वर्गमीटर, दक्षिणी सीमा पर 68 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 272 वर्गमीटर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अर्थात खसरा नंबर 1335 में कुल 164 + 272 = 436 वर्गमीटर भूमि अर्थात 1096 वर्गमीटर का कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थीगण से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बजरंगपुरा में स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1324 में 67 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 268 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1329 में 42 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 168 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1331 में से 56 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 224 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 1335 में से पश्चिमी सीमा पर 41 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 164 वर्गमीटर, दक्षिणी सीमा पर 68 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 272 वर्गमीटर अर्थात खसरा नंबर 1335 में कुल 164 + 272 = 436 वर्गमीटर भूमि अर्थात 1096 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्राथीगण से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर